उपखण्ड अधिकारी
अलवर

23-12-24

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : प्रतीक जुईकर (आई0ए0एस)

मु.नं.	तारीख दायर	तारीख निर्णय
2/14	28.01.2022	23–12–2024

उनवान

1:–रणजीत सिंह पुत्र स्व. श्री शिवलाल सिंह, जाति जाट, उम्र करीब 58 वर्ष, निवासी 349, आदर्श कॉलोनी, दाऊदपुर, अलवर (राज०)

प्रार्थी

बनाम

1.–कन्हैयालाल सैनी पुत्र श्री भगवानसहाय, जाति माली
2.–श्रीमती गुडी देवी पत्नी स्व. श्री भगवती प्रसाद, जाति माली
3.–त्रिलोक पुत्र स्व. श्री भगवती प्रसाद, जाति माली
4.–तुलसा पुत्री स्व. श्री भगवती प्रसाद, जाति माली
5.–भगवती पुत्री भगवान सहाय, जाति माली
6.–हीरा बाई पुत्री श्री भगवती प्रसाद, जाति माली निवासीयान सूर्य बास, बस स्टैण्ड के पास, अलवर (राज०)
7.–अधिशांषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड प्रथम, बाला किला रोड़, अशोका टॉकिज के पास, अलवर (राज०)
–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अलवर (राज०) बहैसियत लैण्ड होल्डर

प्रतिवादी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम

निर्णय

वकील वादी/प्रार्थी ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज.काश्त.अधिनियम के साथ प्रार्थना पत्र 212 राज.काश्त.अधिनियम पेश कर निवेदन किया कि मिन प्रार्थी आराजी खसरा नं. 558 रकबा 0.01 है., 559 रकबा 0.54 है., 560 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 रकबा 0.63 है. वाके ग्राम भूगोर, तहसील व जिला अलवर (राज०) के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिसका अंकन हाल जमाबंदी सम्वत् 2069–2074 में हो रहा है,

प्रार्थी आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 कुल किता 3 रकबा 0.63 है. वाके ग्राम भूगोर के 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार है जिस पर मिन प्रार्थी के द्वारा चारदीवारी की जाकर एक कमरा, ऑफिस बनाया हुआ है एवं विद्युत कनैक्शन स्वयं के नाम से लिया हुआ है, जो मौके पर जारी है। उक्त आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर के शेष 1/2 भाग

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

की खातेदार काश्तकार लल्ली पुत्री सुसाराम माली थी, जिसका देहान्त अर्सा दराज पूर्व हो चुका है जिसके वारिसान अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 हैं,

वर्तमान वाद में आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर में मिन प्रार्थी के निहित 1/2 भाग के अलावा शेष 1/2 भाग विवादित है जिसे विवादित भाग के रूप में दर्शाया जावेगा, आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर के विवादित 1/2 हिस्से की अवाप्ति अप्रार्थी सं. 7 के द्वारा की गई थी तथा अवाप्ति करते हुए विवादित भाग 1/2 पर सड़क सरकारी अलवर बाई पास रोड़ में जा चुकी है तथा मौके पर अलवर बाई पास रोड़ निर्मित है अर्थात मौके पर लल्ली पुत्री सुसाराम माली की कोई भूमि मौके पर नहीं है लल्ली पुत्री सुसाराम माली के द्वारा आराजी खसरा नं. 558 रकबा 0.01 है., 559 रकबा 0.54 है., 560 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 रकबा 0.63 है. वाके ग्राम भूगोर में निहित अपने सम्पूर्ण, सालिम अंश 1/2 की बाबत अप्रार्थी सं. 7 के यहां से अवाप्ति पश्चात मुआवजा राशि बतौर 96,863/-रूपये अपने जीवनकाल में ही प्राप्त किया जा चुका है अर्थात विवादित भाग की बाबत अवाप्ति प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के उपरान्त अपनी अन्तिमतता को प्राप्त हो चुकी है तथा लल्ली पुत्री सुसाराम माली का कोई अंश उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर में निहित नहीं रहा है, जो तथ्य गौर श्रीमान है। प्रार्थी का आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर में निहित 1/2 हिस्सा व शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थी सं. 7 का है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में लल्ली पुत्री सुसाराम वर्तमान में भी खातेदार दर्ज चली आ रही है तथा अप्रार्थी सं. 7 के द्वारा अवाप्ति कार्यवाहीं पूर्ण होने के उपरान्त अप्रार्थी सं. 8 के साथ अनेक पत्राचार किये गये हैं। परन्तु उसके बावजूद भी राजस्व रिकार्ड में लल्ली पुत्री सुसाराम के स्थान पर अप्रार्थी सं. 7 के नाम की दुरूस्ती नहीं पाई,

अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 जो कि भू-माफिया गतिविधियों में लिप्त हैं एवं तेज तर्रार शख्स है, जो कि लल्ली पुत्री सुसाराम के नाम का राजस्व रिकार्ड में अंकन होने के कारण विरासत इंतकाल खुलवाने की जुस्तजु में है तथा उक्त की आड में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि एवं सड़क भूभाग की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश में है, जिस वास्ते अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के द्वारा मिन प्रार्थी को दिनांक 26.1.2022 को मौके पर आकर बेजा धमकी दी गई, जिस कारण से मूल राजस्व वाद पत्र बिना किसी देरी के नेकनियति से पेश किया जा रहा है जिसमें मिन प्रार्थी की कोई दुर्भावना व बदयान्ति नहीं है।

आराजी खसरा नं. 558, 559, 560 ग्राम भूगोर के साबिक खसरा नं. 815 था तथा राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज बाबत खातेदार होने के कारण उक्त का नाजायज फायदा उठाते हुए अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 मिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी काश्तकारी कब्जेदारी की भूमि के उपयोग उपभोग में बेजा रूकावट मजाहमत डालने की जुस्तजु में है एवं सरकारी सड़क भू भाग पर जबरन कब्जा कर बाला बाला दीगर शख्सों को रहन बय हिबा करने करने की जुस्तजु में है, जिस कारण से हस्तगत प्रार्थना पत्र नेकनियति से पेश किया जा रहा है। उपरोक्त इन्द्राजात बाबत खातेदारी को दुरूस्त किया जाकर विवादित भाग का अप्रार्थी सं. 7 को खातदार घोषित करते हुए दर्ज किया जाना आवश्यक व जरूरी है जिस हेतु भी मूल राजस्व वाद पत्र घोषणात्मक अनुतोष हेतु नेकनियति से पेश किया गया है।

मूल राजस्व वाद पत्र के निस्तारण में समय लगने की संभावना है। यदि इस अवधि में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 के द्वारा विवादित भाग की बाबत बेजा कार्यवाही अमल में लाई

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

गई अथवा मिन प्रार्थी को उसकी खातेदारी काश्तकारी की भूमि के उपयोग उपभोग में रुकावट मजाहमत की गई तो प्रार्थी का मूल राजस्व वाद बेसूद हो जायेगा जिस कारण से अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने बाबत [illegible] प्रार्थना पत्र नेकनियति से पेश किया जा रहा है प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति जाहिर व साबित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल राजस्व वाद जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द फरमाया जावे कि वो आराजी खसरा नं. 558 रकबा 0.01 है., 559 रकबा 0.54 है., 560 रकबा 0.08 है. कुल किता 3 रकबा 0.63 है. वाके ग्राम भूगोर, तहसील व जिला अलवर (राज०) के 1/2 हिस्से कि जिसका मिन प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, मौके पर अपनी भूमि की चारदीवारी की हुई है, के उपयोग उपभोग में अप्रार्थी सं. 1 लगायत 6 किसी प्रकार की रुकावट मजाहमत ना डाले, उक्त खसरा के शेष 1/2 हिस्से बाबत गलत इन्द्राज के आधार पर स्वयं के नाम लल्ली पुत्री सुसाराम का विरासत इंतकाल ना खुलवाए, उक्त खसरान नम्बरान के किसी भू भाग पर जबरन कब्जा ना करें, पाबन्द रहे बाज आवे एवं अन्य दीगर दादरसी जो प्रार्थी के हक में जाहिर व साबित हो प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। प्रार्थना पत्र प्रार्थी का जवाब अप्रार्थीगण 1 लगा० 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र किया गया प्रार्थी तथाकथित रुप से जमाबंदी 2069–2074 के अनुसार खातेदार है, लेकिन जमाबंदी में हुए गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी ने यह वाद प्रस्तुत किया है, जबकी मिन अप्रार्थीगण ने उक्त इन्द्राज को दुरुस्त करने व अन्य अनुतोष हेतु अलग से राजस्व वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके चलते प्रार्थी गलत इन्द्राज के आधार पर मौजूदा वाद के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

यह कथन असत्य है कि प्रार्थी ने अपने हिस्सें की आराजीयात पर कमरा व ऑफिस बनाया हो तथा विद्युत संबंध लिया हो वल्कि मिन अप्रार्थीगण उक्त आराजीयात के सहखातेदार है तथा आराजीयात का विभाजन नहीं हुआ है, जिसे चलते प्रार्थी का अपने हिस्से पर काबिज होने तथा उस पर कमरा व आफिस का निर्माण किये जाने के तथ्य मिथ्या अंकित किये है, विवादित अराजीयात मिन अप्रार्थीगण के परिवार की वुजुर्ग श्रीमति छोटा बेवा सूसाराम एवं श्रीमति लल्ली देवी पुत्री सूसाराम जाति माली निवासी मोहल्ला सूर्या बास, बस स्टेण्ड के पास, अलवर थी, जिनके कब्जें काश्त खातेदारी की साबिक खसरा नं0 815 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा जिसके संवत 2051 में हाल खसरा नं० अराजी खसरा नं0 558 रकबा 0.01, नं0 559 रकबा 0.54 एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 हो गये है, वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर पर स्थित है, जो कि उक्त आराजीयात उन्हे विरासत में प्राप्त हुई थी, जिन छोटा बेवा सूसाराम का स्वर्गवास हो गया तथा उनकी विरासत जरिये नामांतरण संख्या 124 से श्रीमति लल्ली देवी पुत्री सूसाराम के नाम आ गई इस प्रकार से लल्ली देवी पुत्री सूसाराम विवादित अराजीयात की अकेली खातेदार हो गई। जो कि उक्त श्रीमति लल्ली देवी, का स्वर्गवास दिनांक 27.10. 2009 को हो गया है तथा उनके एक पुत्र भगवती प्रसाद का स्वर्गवास दिनांक 17.03.2012 को हो गया है, इस प्रकार से मिन अप्रार्थीगण उक्त श्रीमति

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

ल्ली देवी व भगवती प्रसाद के जायज एवं विधिक वारीसांन है तथा जिनके हक में स्व० ल्ली देवी के विरासत इन्तकाल की प्रक्रिया विचाराधीन है।

यह लिखना कतई गलत है कि आराजी खसरा नं0 558, 559, 560 के आधे हिस्से को छोड कर शेष आधी विवाद हो बल्कि आराजीयात का किसी भी प्रकार से विभाजन नही आ है जिसके चलते आधी आराजी विवादित हो तथा शेष आधी विवादित ना हो इस प्रकार तथ्य स्वत ही मिथ्या हो जाते है तथा वाद इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है।

उक्त आराजीयात का 1/2 हिस्सा अवाप्त किया जा चुका हो तथा अप्रार्थी की कोई जमीन मौके पर ना हो बल्कि आराजीयात अबट है जिसके चलते केवल लल्ली के 1ध्2 हिस्से की अवप्ती किये जाने के तथ्य मिथ्या अंकित किये गय है इस बाबत सही तथ्य इस प्रकार से है कि मु० लल्ली पुत्री सूसाराम द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नं0 558 रकबा 0. 01, नं0 559 रकबा 0.54 एवं खसरा नं० 560 रकबा 0.08 वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर में से खसरा नं0 558 रकबा 0.01 सालिम एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 सालिम तथा नं0 559 रकबा 0. 54 में से 0.19 है० कुल किता तीन रकबा 0. 28 है० का बेचान प्रार्थी संख्या 1 के हक में जरिये बयनामा दिनांक 07.04.2000 से कर दिया था, जिसका बयनामा दिनांक 07.04.2000 को कार्यालय उप पजिंयक अलवर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 562 पृष्ट संख्या 52 क्रम संख्या 1132 पर दर्ज किया है, जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 187 गलत रुप से प्रार्थी के नाम दिनांक 30.04.2000 को स्वीकार किया गया है, क्योकि लल्ली देवी पुत्री सूसाराम के द्वारा खसरा नं0 558 रकबा 0.01 सालिम एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 सालिम तथा नं0 559 रकबा 0.54 में से 0.19 है० कुल किता तीन रकबा 0.28 है० वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर का ही बेचान किया था, जबकी नामांतरण संख्या 187 स्वीकार करते समय प्रार्थी को 1/2 हिस्सें काश्तकार दर्ज किया है, जो नामांतरण खिलाफ कानून व खिलाफ दस्तावेज है, जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा जिसके आधार पर जमाबंदी संवत 2069–74 में जो 1/2 भाग का अंकन किया गया है, वह भी खिलाफ कानून व खिलाफ रेकार्ड है, जिसे कलम जन किया जाकर उसमें से खसरा नं0 559 रकबा 0.54 है0 में से 0.35 हे0 का अप्रार्थीगण को खातेदार काश्ताकर घोषित फरमाये जाने व इसी अनुसार दुरुस्ती फरमाये जाने के लिये मिन अप्रार्थीगण ने अलग से वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके चलते यह लिखना कतई गलत है कि मौके पर लल्ली देवी का कोई हिस्सा मौजूद ना हो तथा इसी आधार पर प्रार्थी का वाद खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 7 के द्वारा सडक हेतु कुछ भुमि अवाप्त की है, लेकिन यह लिखना कतई गलत है कि लल्ली देवी ने अवाप्ती का मुआवजा प्राप्त कर लिया हो तथा उसके हिस्सें की भुमि अवाप्त हो जाने के बाद मौके पर उसकी कोई भुमि शेष ना हो बल्कि इस बाबत सही तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नं0 560 रकबा 0.08 है० गैर मु० रास्ता की भुमि थी, जिसे पीडब्ल्यूडी अलवर के द्वारा बाईपास के लिये अधिगृहित कर लिया गया है, जो कि गैर मु० रास्ता था तथा साबिक खसरा नं0 815 का भाग था, जो राजस्व रेकार्ड से प्रमाणित है। जिसे चलते यह लिखना कतई गलत है कि मौके पर लल्ली देवी की कोई भुमि ना हो तथा केवल प्रार्थी की आराजी मौजूदा हो बल्कि प्रार्थी ने खिलाफ रेकार्ड मिथ्या तथ्यों को दर्ज करते हुए वाद प्रस्तुत किया है, जो इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। यह लिखना कतई गलत है कि विवादित आराजीयात का 1/2 हिस्सा प्रार्थी का तथा शेष 1/2 हिस्सा

अधिकृत अधिकारी

प्रार्थी संख्या 7 का हो तथा बार बार निवेदन करने पर भी अप्रार्थी इन्द्राज को दुरुस्त कराने हेतु कार्यवाही नहीं कर रहा हो बल्कि सही तथ्य इस प्रकार से है कि मु० लल्ली पुत्री सूसाराम द्वारा अपनी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नं0 558 रकबा 0.01, नं0 559 रकबा 0.54 एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर में से खसरा नं0 558 रकबा 0.01 सालिम एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 सालिम तथा नं0 559 रकबा 0.54 में से 0.19 है० कुल किता तीन रकबा 0.28 है0 का बेचान प्रार्थी संख्या 1 के हक में जरिये बयनामा दिनांक 07.04.2000 से कर दिया था, जिसका बयनामा दिनांक 07.04.2000 को कार्यालय उप पजिंयक अलवर की पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 562 पृष्ट संख्या 52 क्रम संख्या 1132 पर दर्ज किया है, जिसके आधार पर नामांतरण संख्या 187 गलत रुप से प्रार्थी के नाम दिनांक 30.04.2000 को स्वीकार किया गया है, क्योकि लल्ली देवी पुत्री सूसाराम के द्वारा खसरा नं0 558 रकबा 0.01 सालिम एवं खसरा नं0 560 रकबा 0.08 सालिम तथा नं0 559 रकबा 0.54 में से 0.19 है0 कुल किता तीन रकबा 0.28 है० वाके ग्राम भूगोर, पटवार हल्का भूगोर तहसील अलवर जिला अलवर का ही बेचान किया था, जबकी नामांतरण संख्या 187 स्वीकार करते समय प्रार्थी को 1/2 हिस्सें काश्तकार दर्ज किया है, जो नामांतरण खिलाफ कानून व खिलाफ दस्तावेज है, जो निरस्त किये जाने योग्य है तथा जिसके आधार पर जमाबंदी संवत 2069–74 में जो 1/2 भाग का अंकन किया गया है, वह भी खिलाफ कानून व खिलाफ रेकार्ड है, जिसे कलम जन किया जाकर उसमें से खसरा नं० 559 रकबा 0.54 है0 में से 0.35 हे0 का अप्रार्थीगण को खातेदार काश्ताकर धोषित फरमाये जाने व इसी अनुसार दुरुस्ती फरमाये जाने के लिये मिन अप्रार्थीगण ने अलग से वाद प्रस्तुत किया हुआ है, जिसके चलते यह लिखना कतई गलत है कि मौके पर लल्ली देवी का कोई हिस्सा मौजूद ना हो तथा इसी आधार पर प्रार्थी का वाद खारिज फरमाया जावे। यह लिखना भी कतई गलत है कि अप्रार्थीगण भूमाफिया गतिविधिओं में संलिप्त हो तथा लल्ली देवी का विरासत इन्तकाल खुलवाने की जुस्तजू में हो तथा जिसकी आड में प्रार्थी की आराजीयात व सडक पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हो बल्कि प्रार्थी ने दिनांक 26.01.2022 का तथाकथित घटनाक्रम मिथ्या तौर पर अंकित किया है, जबकी वास्तविक तथ्य इस प्रकार से है कि मिन अप्रार्थी स्व० लल्ली देवी के विधिक वारीसांन है तथा उन्हे उनकी विरासत का इन्तकाल खुलवाने का विधिक अधिकार प्राप्त हैं, जबकी प्रार्थी स्वयं भूमाफीया शख्स है, जिसके कई मुकमदें विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है, जो इस प्रकार की जमीनों को बिना किसी हक वो अधिकार के विवादित बना कर उन्हे ओने पोने दामों पर खरीदने का कार्य करता है, जिस क्रम में ही उसके द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया है, जबकी स्वयं प्रार्थी मिन अप्रार्थीगण को उनके हक व हिस्सें की आराजी पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में रुकावट व मजाहमत कर रहा है, जिसके चलते मिन अप्रार्थीगण ने आराजी खसरा नं0 559 रकबा 0.54 है० वाके ग्राम भूगोर, अलवर में से अपने हिस्सें की 0.35 है० आराजी को तकीसम कराने हेतु वाद प्रस्तुत किया हुआ है, इस प्रकार से मिन अप्रार्थीगण अपने 0.35 है० हिस्सें को तथा प्रार्थी अपने 0.19 है0 हिस्से को अलग अलग तकसीम कराने के बाद उनका अलग से खाता कायम कराने व तकसीम शुदा आराजीयात पर दखल प्राप्त करने के अधिकारी है। जिस हेतु अलग से कार्यवाही की जा रही है।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

जिमन संख्या 9 गलत है स्वीकार नही है, यह लिखना कतई गलत है कि मिन अप्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड के गलत इन्द्राज का लाभ उठा कर उक्त आराजीयात पर कब्जा करना चाह रहे हो तथा उसे दीगर शख्सों को रहन बय हिबा से मुंतकिल करने की दुरुस्त है तथा जिसके चलते इन्द्राज दुरुस्त किया जाना आवश्यक हो बल्कि मिन अप्रार्थी वादित विवादित आराजीयात पर अरसे दराज से अपनी बुजुर्ग श्रीमति लल्ली देवी के जीवनकाल से ही बहैसीयत मालिक काबिज है तथा बतौर खातेदार काश्तकारी करते चले आ रहे है। जिस पर प्रार्थी की प्रारंभ से ही बुरी नजर रही है तथा उसके द्वारा जब तब अपनी खातेदारी की आड में मिन अप्रार्थी के 0.35 है० हिस्सें की आराजीयात पर जबरन कब्जा करने आराजीयात में शामिल करने व मिन प्रार्थीगण को बेदखल करने का प्रयास किया जाता रहा है। जिस बाबत उसके द्वारा मिथ्या तथ्यों व गलत रेकार्ड के आधार पर यह वाद प्रस्तुत किया है. जिस वाद के माध्यम से प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में वांछित दुरुस्ती कराने का अधिकारी नही है।

अप्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी नही है अथवा अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है, जिसके चलते प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है। मौजूदा मुकदमें की आड में मिन अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल करने कि नियत से यह वाद व स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो उसकी बदनियती को दर्शित करता है, जिसके चलते प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में ना होकर मिन अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है।

इसी प्रकार प्रतिवादी स0 07 (केस प्रभारी अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बाला किला रोड, अशोका टाकिज के पास, अलवर) की ओर जवाब पेश न्यायालय किया गया कि प्रार्थना पत्र का मद सं. 1 जिस प्रकार बयान किया गया हैं उसमें केवल इतना स्वीकार हैं कि वादी/प्रार्थी द्वारा उक्त अनुवानी का मूल वाद गलत तथ्यों के आधार पर न्यायालय हाजा में पेश किया गया हैं जिसमें वादीद्य प्रार्थी को सफलता की कोई उम्मीद व आशा नहीं करनी चाहिए तथा ना ही वाद पत्र के तथ्य प्रार्थना पत्र के साथ पढे जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं हैं।

जिमन न0 2 मे केवल मात्र यह सही हैं कि खसरा न0 558 रकबा 0.01 है0, 559 रकबा 0.54 है0, 560 रकबा 0.08 है० कुल किता 3 कुल रकबा 0.63 है० वाके ग्राम भूगौर तहसील व जिला अलवर में स्थित हैं।

विवादित आराजी में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना व निर्देश अनुसार 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि की आवाप्ति की गई थी। जिसकी मुआवजे की राशि खातेदार सुसाराम पुत्र भौरया जाति माली निवासी रूपवास, अलवर को भुगतान की जा चुकी हैं।

आराजी खसरा न0 558, 559, 560 वाके ग्राम भूगौर तहसील व जिला अलवर में स्थित हैं। उक्त आराजी के साबिक खसरा नम्बर 815 हैं। उक्त आराजी में से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमि आवाप्त कर खातेदार सुसाराम पुत्र भौरया को मुआवजे राशि का भुगतान किया जा चुका हैं।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

आराजी खसरा न0 558, 559, 560 सादिक खसरा न० 815 वाके ग्राम भूगौर तहसील व जिला अलवर हैं एवं स्वीकार हैं कि प्रतिवादी सं. 7 के नाम विवादित आराजी में 1 बीघा 8 बिस्वा रकबे का इन्द्राज किया जावें। शेष कथन गलत हैं स्वीकार नहीं हैं।

वादी, प्रतिवादीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के पार्टद कराने का कानूनी अधिकारी नहीं हैं।

प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन व नापूर्ति होने वाली क्षति वादी/प्रार्थी के पक्ष में कतई साबित व प्रमाणित नहीं हैं।

साथ ही प्रतिवादी स0 7 की ओर से निम्न कथन अंकित किये गये कि आराजी खसरा न0 558 रकबा 0.01 है0, 559 रकबा 0.54 है0, 560 रकबा 0.08 है० कुल मिला 3 कुल रकबा 0.63 है० वाके ग्राम भूगौर तहसील व जिला अलवर के हाल राजस्व रिकोर्ड में रामजीत सिंह व लल्ली पुत्री सुंसाराम के नाम रिकोर्ड दर्ज हैं

राज्य सरकार द्वारा अलवर भूमि आवाप्ति वास्ते निर्माण सड़क अलवर बाईपास अलवर – भिवाडी रोड विश्व बैंक योजना के तहत ग्राम भूगौर में सादिक खसरा नम्बर 815 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा आवाप्त की गई थी। जिस आवाप्त की गई भूमि की मुआवजा राशि का भुगतान सुसाराम पुत्र भौरया कौम माली निवासी रूपबास अलवर को दे दी तथा मिन प्रतिवादी उक्त रकबे की बाबत अपना नाम राजस्व रिकोर्ड दर्ज कराने बाबत तहसीलदार अलवर को सूचना दी थी तथा पत्र कमांक 183 दिनांक 14.05.2021 को भी व पत्र तंद क्रमांक 189 दिनांक 24.05.2021 व पत्र कमांक 2554 दिनांक 18.06.2021 व कमांक 533 दिनांक 05.07.2021 को भी तहसीलदार अलवर को अलवर बाईपास हेतु आवाप्त की गई भूमि का नामान्तरण सा०नि०वि० के नाम दर्ज करने बाबत प्रेषित किया गया। जो प्रक्रिया विचाराधीन हैं।

वादी ने विवादित आराजीयात की बाबत दावा/दरख्वास्त पेश करने के लिए रिकोर्ड में दर्ज सहखातेदार लल्ली पुत्री सूसाराम को पक्षकार मुकदमा बनाना आवश्यक था। लेकिन वादी द्वारा लल्ली पुत्री सुसाराम को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया गया हैं। जिससे वादी का दावा/दरख्वास्त काबिले खारिज हैं वादी द्वारा उक्त अनुवानी दावा/दरख्वास्त गलत, झूठे व मिथ्या तथ्यो पर न्यायालय हाजा में पेश किया गया हैं अतः जवाब प्रार्थना पत्र श्रीमान की ओर से स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

वकुलाय की बहस सुनी गई वकुलाय द्वारा जबाव एंव प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यो को ही दोहराया गया हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभयपक्षों की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधि. के निर्णय से पूर्व तीन बिन्दुओं प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन एवं नापूर्ति क्षति पर गौर करना होता है।

1: प्रथम दृष्टया केस :–1:–न्यायालय को सर्वप्रथम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (राजस्व रिकार्ड) पर गौर कर यह देखना है कि आया प्रार्थी का केस प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है अथवा नहीं। प्रार्थी ने प्रा0पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2069–74 वाके ग्राम भूगोर तहसील अलवर पेश की है प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित आराजी के प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है एव वक्त वहस प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अधिशाषी अभियन्ता खण्ड प्रथम पत्रॉक 183 दिनॉक 14–5–20 द्वारा अवाप्ति सार्वजनिक निर्माण विभाग अलवर प्रस्तुत रिकॉर्ड अनुसार अलवर वाईपास, अलवर भिवाडी रोड के लिये दिनॉक 10–01–1992 को अवाप्ति बाबत जारी हो चुका

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

है तथा सा0 नि0 वि0 द्वारा प्रस्तुत जवाव/बहस मे मे कथन किया कि आराजी के साविक खसरा नम्बर 815 मे से 1 बीघा 8 बिस्वा भूमी अवाप्त की जाकर अवाप्ति राशि का भुगतान सुसाराम पुत्र भौरया को किया जा चुका है।

अतः अवार्ड राशि अप्रार्थीगणो के परिवारजनो ने राशि अपने जीवनकाल ही प्राप्त कर ली थी शेष आराजी का बेचान प्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड बयनामा किया गया है इस प्रकार जाहिर आया कि प्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान प्राप्त नही किया गया है इस प्रकार प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के हक में सावित होते है।

2 **सुविधा का सन्तुलनः**—प्रार्थी विवादित आराजी के रिकार्डेड काश्तकार खातेदार है संलग्न राजस्व दस्तावेजात से इसकी पुष्टि होती है। प्रार्थी ने जवाव प्रा0 पत्र में कथन किया है कि अप्रार्थी जबरन नाजायज कब्जा करने की नियत रखते है परन्तु ऐसा कोई ठोस प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह साबित होता हो नाही साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जवकि अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि वह वक्त होश हवाश से आने के वक्त से ही आराजी पर काविज है तथा सयुक्त खाते आराजी पर मौके पर उनका कब्जा है परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात एंव अप्रार्थी के कथनो की काफी हद तक प्रमाणिकता प्रार्थी एंव अप्रार्थी दोनो के पक्ष होती है इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी/अप्रार्थीगण के हक में सावित होता है।

3 **अपूर्णीय क्षति :**—विवादित आराजी कृषि भूमि है एवं पक्षकारान की संयुक्त कब्जेकाश्त की खातेदारी की अबट आराजी है अबट आराजी में प्रत्येक खातेदार का अच्छी में से अच्छी व वुरी में से बुरी पर इंच इंच पर हिस्सा होता है तथा प्रार्थीगणो द्वारा सार्वजनिक विभाग को भी पक्षकार बनाया गया है अवाप्तशुदा आराजी के सार्वजिनक निर्माण विभाग अलवर के नाम नामान्तकरण की प्रकिया तहसीलदार अलवर के विचाराधीन होने बावत पत्रो से स्पष्ट जाहिर पाया जाता है अर्थात प्रतिवादीगणो के परिवारजनो के द्वारा अवाप्ति राशि का भुगतान प्राप्त किया जा चुका है उक्त प्रकार नापूर्ति होने वाली क्षति भी अप्रार्थी स0 1 लगा0 6 को ना होकर प्रार्थीगण एंव सार्वजनिक निर्माण विभाग के पक्ष में पाई जाती है

यह स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा देने के लिए तीनों शर्ते प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का संतुलन एवं नापूर्ति क्षति पूरी होनी चाहिए। यहां तीनो बिन्दु केस प्रार्थी के पक्ष में पाया जाता है उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्त.अधिनियम प्रकरण स0 2/14 आराजी खसरा नम्बर 558, 559, 560 वाके ग्राम भूगोर तहसील अलवर स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी स0 1 लगायत 06 को ताफैसला वाद जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि प्रार्थी की हिस्से आराजी मे ताफैसला वाद आराजी की रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा प्रार्थी के कब्जेकाश्त मे मजाहमत पैदा नही करे।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 23—12—24 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

प्रतिक जुईकर (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर